वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(68)/2009-PD   दिनांक/Dated: 21.11.2023

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किया जाना ।

Sub. : Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare, Office Memorandum No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 07.11.2023 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by ARUN MANIKANDA BHARATHI M

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं.57/05/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक: 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 22.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021)के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद या रिक्ति के सापेक्ष हुई थी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में विकल्प प्रयोग करने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न कार्यकलापों, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने तथा संबंधित सरकारी सेवकों के एनपीएस खाते को बंद करने के लिए कट-ऑफ तारीखें दी गई हैं।

3. नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की समय-सीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के सेवकों से प्राप्त विकल्पों पर नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर दिनांक 30.11.2023 तक किया जाए।

4. इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(एस.चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, सूचनार्थ
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. वितीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाईट पर डालने हेतु।

No. 57/05/2021-P&PW(B)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 07.11.2023

कार्यालय ज्ञापन

Subject: Inclusion of Central Government employees recruited against the posts/vacancies advertised/ notified prior to 22.12.2003, under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021)- reg.

Undersigned is directed to refer to this Department's O.M of even No. dated 03.03.2023 providing one-time option to Central Government employee for inclusion under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in place of National Pension System who has been appointed against a post or vacancy which was advertised/ notified for recruitment/ appointment prior to notification for National Pension System i.e. 22.12.2003,

2. The said Office Memorandum provides for cut off dates for various activities involved in the process of exercising of option, deciding representations by appointing authorities and closure of NPS accounts of the concerned Government servants.

3. In view of request received for extension of time limit for taking decision by the appointing authority, it has been decided to extend the cut-off date for taking decision by the appointing authority on the options received from Central Government employees till 30.11.2023.

4. There would be no change in the other terms and conditions mentioned in this Department's O.M. dated 03.03.2023.

5. Hindi version will follow.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.